न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रभा गौतम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
003/2025(रा.अ.) (GCMS 2025/3)	03.02.2025	26.02.2026

अनवान

1 श्रीमती इन्द्रादेवी पत्नी शांतिलाल महाजन जाति महाजन आयु वयस्क निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

2 श्रीमती किरणदेवी पत्नी प्रदीप कुमार लढ़ा जाति महाजन आयु वयस्क निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

प्रत्यर्थी

उपस्थिति :– सीएम जणवा — अपीलार्थीगण
भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता) — प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार भदेसर क्रमांक/भू0अ0/2023/138 दिनांक 28.12.2023

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने विरूद्ध प्रत्यर्थी के अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि तहसीलदार भदेसर द्वारा मौजा नरधारी पटवार हल्का बागुण्ड तहसील भदेसर के नामान्तरकरण संख्या 179 दिनांक 29.12.2023 के संबंध में पारित आदेश दिनांक 28.12.2023 से व्यथित होकर हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को बिना सुने, बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये एक तरफा आदेश पारित पर नामान्तरकरण दायर किया जाकर निर्णय पारित किया गया, जो निरस्त योग्य है।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। प्रकरण में बहस पत्रावली सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने मियाद प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.12.2023 की कोई जानकारी अपीलार्थी को नही थी, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एकपक्षीय होकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं जारी किया गया है जिसकी सर्वप्रथम जानकारी जमाबंदी की नकल प्राप्त कर देखने पर ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि को बिलानाम दर्ज कर दिया है जिसके बाद अधीनस्थ तहसीलदार भदेसर के आदेश की नकल प्राप्त करते ही यह अपील अपीलार्थीगण बिना किसी देरी के न्यायालय आप में पेश है। इस कारण न्यायालय में अपील प्रस्तुत है और अपील पेश करने में हुई देरी आदेश की दिनांक से अपील पेश करने तक की अवधि को जानकारी के अभाव में क्षम्य फरमाया जावें। इसी आशय का अपीलार्थी द्वारा सच्चा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने प्रार्थना–पत्र बाबत् मियाद अधिनियम का पुरजोर विरोध कर बताया कि अपीलार्थी द्वारा जानबूझ कर प्रकरण में जानकारी दिनांक तक का उल्लेख नहीं किया गया है, अतः अपील अपीलार्थी को मियाद के बिन्दु पर ही खारीज किये जाने की ईश्तदुआ की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना–पत्र का चिंतन–मनन किया। विभिन्न उच्च न्यायालयों प्रतिपादित किया गया है कि मियाद के बिन्दु को उदारता पूर्वक देखा जाकर प्रकरण का निस्तारण तकनीकी आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना चाहिये, ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी प्रस्तुती में हुये समस्त विलम्ब को क्षम्य किया जाना उचित प्रतीत होता हैं, तद्नुसार अपीलार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भदेसर द्वारा प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के स्वामित्व आधिपत्य उपयोग–उपभोग व कब्जे काश्त की खातेदारी में दर्ज आराजी संख्या 210 रकबा 0.28 हैक्टेयर, आराजी संख्या 335/209 रकबा 0.71 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.99 हैक्टेयर कृषि भूमि के संबंध में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही बिना किसी विधिक आधार के दिनांक 28.12.2023 को जो आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत है।

इस पर राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस पत्रावली में निवेदन किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रथम अपील के माध्यम से मौजा नरधारी पटवार हल्का बागुण्ड तहसीलदार भदेसर के नामान्तरकरण संख्या 179 दिनांक 29.12.2023 के संबंध में प्रस्तुत की गई है, जिसमें विभिन्न तथ्यों को संयोजित करते हुए प्रस्तुत की गई है, जिसमें तथ्यों का उचित तारतम्य स्थापित नहीं होता है। अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश दिनांक 29.12.2023 की छाया प्रति एवं दस्तावेजात का अवलोकन कराया एवं बताया की उक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामान्तरकरण तहसीलदार भदेसर द्वारा पारित आदेश क्रमांक/भू.अ./2023/138 दिनांक 28.12.2023 की पालना में दायर किया जाकर निर्णित किया है एवं अपीलार्थीगण द्वारा उक्त आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती दिये बगैर आदेश की पालना में निर्णित नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है जो कि विधि अनुसार नहीं है, एवं तहसीलदार भदेसर द्वारा व्यापक राजहित प्रभावित होने से राज्य सरकार के विरूद्ध निर्णित प्रकरणों में विधिक राय पश्चात् सक्षम न्यायालय में अपील/रेफरेंस संबंधी कार्यवाही किये जाना अपेक्षित होने से प्रकरण में स्वीकृत नामान्तरकरण को प्रत्याहित(**withdraw**) किया गया है, जो कि विधिक प्रावधानों के अध्यधीन किया किया गया है एवं प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने हेतु अनुरोध किया। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस समाप्त की।

इस पर राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस पत्रावली में निवेदन किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2023 की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराई गई केवल मात्र छाया प्रति एवं नामान्तरकरण संख्या 179 दिनांक 29.12.2023 की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली पर उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये अन्य दस्तावेजात का अवलोकन कराया एवं बताया की उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार भदेसर द्वारा पारित आदेश क्रमांक/भू.अ./2023/138 दिनांक 28.12.2023 की पालना में दायर किया जाकर निर्णित किया है एवं अपीलार्थीगण अपने अपील मेमों यह स्पष्ट नहीं कर पाये है कि अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्रथम अपील नामान्तरकरण संख्या 179 दिनांक 29.12.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है अथवा तहसीलदार भदेसर के आदेश दिनांक 28.12.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा विभिन्न प्रकार अलग-अलग तथ्यों को संयुक्त रूप से संयोजित करते हुए प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है जो विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अपीलार्थी अपनी प्रार्थना में किसी भी प्रकार का कोई तारतम्य स्थापित नहीं कर सके है। इस मुख्य विधिक तथ्य/प्राथमिक आपत्ति पर ही अपील अपीलार्थी खारीज किये जाने योग्य है।

प्रकरण में तहसीलदार भदेसर द्वारा व्यापक राजहित प्रभावित होने से राज्य सरकार के विरूद्ध निर्णित प्रकरणों में विधिक राय पश्चात् सक्षम न्यायालय में अपील/रेफरेंस संबंधी कार्यवाही किये जाना अपेक्षित होने से प्रकरण में स्वीकृत नामान्तरकरण को प्रत्याहित(**withdraw**) किया गया है, जो कि विधिक प्रावधानों के अध्यधीन किया किया गया है एवं प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने हेतु अनुरोध किया। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस समाप्त की।

इस पर बहस रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/अपीलार्थी स्वामित्व, आधिपत्य की वर्तमान आराजीयात मौजा नरधारी पटवार हल्का बागुण्ड तहसील भदेसर की आराजी संख्या 209 एवं 210 में से 0.99 हैक्टेयर कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा एक वाद पत्र बाबत् खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर में प्रस्तुत कर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की साबिक आराजी संख्या 197/1 रकबा 12 बीघा एवं आराजी संख्या 198/3 रकबा 3 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 15 बीघा जिसके भू-प्रबंध के बाद नवीन आराजी संख्या 211 रकबा 2.25 हैक्टेयर कायम किये। नवीन रेकार्ड में वादीगण का रकबा 3 बीघा कम दर्शाई गई है जिसकी पूर्ति मौके पर कब्जे अनुसार कराई जावें। राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलती करते हुए वादीगण का रकबा कम दर्ज किया है इसलिये वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। जिस पर वादीगण का वाद पत्र बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर वादीगण को नवीन आराजी संख्या 209 एवं 210 में से 0.99 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया जिसकी पालना में इजराय प्रस्तुत की गई जिसकी पालना में नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाकर अपीलार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित किया। इसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.12.2023 को बिना अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना किसी सूचना-पत्र के आनन-फानन में आदेश पारित करते हुए पूर्व में स्वीकृत नामान्तरकरण को तुरंत प्रभाव से प्रत्याह्रित (**withdraw**) कर दिया जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय भूमिधारी तहसीलदार यदि उक्त नामान्तरकरण से किसी भी प्रकार से प्रभावित होते है तो उसके संबंध में निर्णय व डिक्री की सक्षम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर उस डिक्री को निरस्त करवाना चाहिए था। बिना डिक्री को निरस्त कराये जो आदेश दिनांक 28.12.2023 को जारी किया व उसकी पालना में प्रार्थीगण की कृषि भूमि को बिलानाम दर्ज करने का जो आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं अपने आदेश में यह तथ्य अंकित किया कि राज्यहित प्रभावित होने से सक्षम न्यायालय में अपील/रेफरेंस किया जाना अपेक्षित है ऐसी स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को जब तक अपीलीय न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता है तब तक उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता है। तथा अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री को निरस्त कराने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.12.2023 एवं उसकी पालना में ग्राम पंचायत नरधारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 179 स्वीकृत दिनांक 29.12.2023 भी निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की आराजीयात के संबंध में नामान्तरकरण एवं आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को कोई सूचना-पत्र जारी नहीं किये गये ना ही किसी आदेशिका का संधारण कर अपीलार्थी को सूचित ही किया गया, ऐसी स्थिति में तहसीलदार भदेसर द्वारा पारित आदेश क्रमांक/भू.अ./2023/138 दिनांक 28.12.2023 पूर्णतया अवैधानिक होकर न्यायिक दृष्टि से भी त्रुटिपूर्ण है, जो अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंनत–मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावलियों का आद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया।

हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – **''अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भदेसर द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 179 मौजा नरधारी पटवार हल्का बागुण्ड निर्णय दिनांक 29.12.2023 विधि अनुसार निर्णित किया गया है या नहीं, अगर नहीं तो निर्णय क्या होगा ?''**

नामान्तरकरण को दर्ज करने एवं उसकी जांच व सक्षम अधिकारी द्वारा उसे निर्णित करने के संबंध में राजस्थान भू राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 121 के प्रावधान लागु होते है, जो कि इस प्रकार है–

(iv) The Revenue Officer (The Tehsildar, the Naib-Tehsildar or an Assistant Collector) or the village Panchayats to which the powers under Section 135 of the Rajasthan and Revenue Act, 1956 have been delegated, as the case may be should carefully compare the entries in the counterfoil, and foil and must write his order on the latter. He should see that entries in the mutation sheet at his orders thereon are neatly and legibly written. The order should show the parties interested, whether all were present or any one was absent, the way in which his evidence was obtained or it was not obtained, what opportunity was given to him to present, who identified the parties present and the place at which and the date on which it was written. In mutations of alienation of land tine caste and sub-caste of the party should be named in the order. No detailed record of the statements of parties and witnesses need be made but the order must state briefly the persons examined by the Revenue Officer, the facts which they deposed and the grounds of the order. Except where the mutation order relates to an entire holding and in case of undisputed inheritance, the Revenue Officer must enter in his own hand the number of the fields affected and their total area.

131. The scope of Mutations.-

(i) The status of an estate-holder or a tenant cannot be altered except:—

- (a) by agreement of all the parties interested: or
- (b) in consequence of a decree or order which is binding upon them, or
- (c) in accordance with facts proved or admitted to have occurred under the relevant provisions of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.

(ii) In cases of inheritance a summary inquiry into the title is necessary. Where it is claimed that property devolves by reason of will, this should be treated as a case of succession by inheritance and the inquiry will include an enquiry into the validity of the will.

उक्त नियम 121(4) में अंकित हिदायतों की पालना करते हुऐ नामान्तरकरण निर्णित करने हेतु सक्षम अधिकारी को नामान्तरकरण से संबंध में पूर्ण जांच उपरांत नामान्तरकरण तस्दीक करना होता है। इस संबंध में तहसीलदार भदेसर के आदेश क्रमांक/भू.अ./2023/138 दिनांक 28.12.2023 अनुसार हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण दायर कर पेश किया गया है। जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच की गई। इसके पश्चात् 29.12.2023 को तहसीलदार भदेसर द्वारा पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट अनुसार नामान्तरकरण की स्वीकृति प्रदान की गई, जो कि विधि अनुसार उचित है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भदेसर द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण निर्णित करते समय विधि के उपाबंधों की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पालना किया जाना प्रतिवेदित होता है। जिससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भदेसर उक्त विवादित नामान्तरकरण मौजा नरधारी पटवार हल्का बागुण्ड संख्या 179 निर्णय दिनांक 29.12.20223 को निर्णित किये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में निर्णय के बिन्दु पर विचार किये जाने पर यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवादित नामान्तरकरण मौजा नरधारी पटवार हल्का बागुण्ड संख्या 179 निर्णय दिनांक 29.12.20223 के निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भदेसर द्वारा त्रुटि कारित जाना परिलक्षित होता नहीं होता है।

इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही संक्षिप्त विचारण है, इसमें पक्षकारान के हक अधिकार तय नहीं किये जा सकते है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य जाहिर होता है कि अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण निर्णित करते समय विधि के उपाबंधों की पालना की जाकर विधिक निर्णय नियमानुसार पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भदेसर द्वारा पारित आदेश उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 179 जिसे दिनांक 29.12.2023 को तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया के संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस में सीमित तथ्य उठाये गये है। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा आराजीयात जैरबहस अपीलार्थीगण कब्जे के में होने का तथ्य उठाया गया है। इस संबंध में कब्जे का तथ्य विधि अनुसार सक्षम न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण चाराजोही कर सकते है, अधिनियम 1956 की धारा 75 की कार्यवाही में इस तथ्य के संबंध में विवेचन किया जाना उचित नहीं है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 179 निर्णय दिनांक 29.12.2023 के निर्णय में किसी भी प्रकार से कोई विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि किया जाना परिलक्षित नहीं होता है, अतः नामान्तरकरण के संबंध में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा अवगत कराया गया है कि मौजा नरधारी पटवार हल्का बागुण्ड तहसील भदेसर में अपीलार्थी के खातेदारी में दर्ज भूमि को उक्त नामान्तरकरण से परिवर्तन किया गया है। अपीलार्थी के खातेदारी में उक्त आराजीयात न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के प्रकरण संख्या 072/2017 निर्णय दिनांक 06.12.2021 के पालना में दर्ज की गई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर के प्रकरण संख्या 072/2017 अनवानी श्रीमती इन्द्रादेवी वगैराह बनाम श्रीमती नानीबाई वगैराह निर्णय दिनांक 06.12.2021 को आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं किया गया है।

अतः न्याय हित में (**Interest of justice**) अपीलार्थी को इस बात की स्वतंत्रता (**liberty**) दी जाती है, कि अपीलार्थी आज दिनांक से **अधिकतम 60 दिवस** की अवधि में **उपखण्ड अधिकारी, भदेसर** के निर्णित प्रकरण संख्या **072/2017 अनवानी श्रीमती इन्द्रादेवी वगैराह बनाम श्रीमती नानीबाई वगैराह निर्णय दिनांक**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.12.2021 की नवीनतम प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर **मय हस्तगत निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि** के उपखण्ड अधिकारी भदेसर को अन्तर्गत **आदेश 21 नियम 22 जा0दी0** का आवेदन प्रस्तुत करावें। उपखण्ड अधिकारी भदेसर अपीलार्थीगण प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 21 नियम 22 जा0दी0 विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण के **मद्यून (तहसीलदार भदेसर**) को नोटिस जारी किया जाकर **समुचित सुनवाई का अवसर** प्रदान करते हुऐ अपीलार्थीगण के आवेदन अन्तर्गत आदेश 21 नियम 22 जा0दी0 का निस्तारण (**तहसीलदार भदेसर की उपस्थिति में**) करें। **निर्धारित 60 दिवसीय सीमा समाप्त होने के पश्चात् दी गई स्वतंत्रता (liberty) स्वतः निरस्त हो जायेगी।**

अतः उपर्युक्त **विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलार्थीगण सारहीन होकर बलहीन होने से खारीज की जाती है एवं अधीनस्थ तहसीलदार भदेसर द्वारा मौजा नरधारी पटवार हल्का बागुण्ड तहसील भदेसर के नामान्तरकरण संख्या 179 निर्णय दिनांक 29.12.2023 की पुष्टि की जाकर निर्णय को यथावत रखा जाता है, तथा उपर्युक्त विवेचन में अंकित तथ्यों के अध्यधीन अपीलार्थीगण को न्याय हित में (Interest of justice) इस बात की स्वतंत्रता (liberty) दी जाती है, कि अपीलार्थी उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के आवेदन अन्तर्गत आदेश 21 नियम 22 जा0दी0 प्रस्तुत कर सकते है।** निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, तहसीलदार भदेसर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **26.02.2026** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रभा गौतम)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official